तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/7/22	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर राज कार्यों में व्यस्त है/........ अतः पत्रावली दिनांक 18/8/22 को पेश हो।	
18/8/22	पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर राज कार्यों में व्यस्त है/........ अतः पत्रावली दिनांक 13/9/22 को पेश हो।	
13/9/22	पत्रावली पेश हुई वाकुलाय उपस्थित पत्रावली में बहस सुनी गई। वास्ते आदेश हेतु दिनांक 28/9/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
28-9-22	~~पत्रावली पेश पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है/दौरे पर है/दीगर राज कार्यों में व्यस्त है/........ अतः पत्रावली दिनांक 24-11-22 को पेश हो।~~	[illegible]
	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधि० उप० अप्रार्थी संख्या 2 अधिवक्ता उप०। अप्रार्थी संख्या 1 का नोटिस तामील शुदा पत्रावली में संलग्न है। उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या 2 व प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रा पत्र	
	(हस्ताक्षर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की न्यायालय मे वादी द्वारा 2012 तक उपस्थित हो जाकर कार्यवाही की गई परन्तु इसके पश्चात न्यायालय मे कोई प्रभावी कार्यवाही नही होने से व पत्रावली ACJM कोर्ट मे स्थानान्तरण होने से व कोविड के चलते वादी को आगामी पेशी की जानकारी नही हो सकी। वादी द्वारा अब न्यायालय की प्रति प्राप्त की गई तब वाद की प्रगति बाबत अदम पैरवी व अदम हाजरी के बारे मे जानकारी मिली जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा यह रिस्टोरेशन प्रा पत्र पेश किया गया है प्रार्थी द्वारा एक प्रा पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम पेश कर प्रा पत्र पेश करने मे हुई स्वभाविक भूल को क्षमा करने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा निवेदन किया गया है की पूर्व मे भी वादी द्वारा अनुपस्थित रहने से वाद अदम पैरवी अदम हाजरी मे खारिज हुआ है। प्रार्थी /वादी को वाद मे कई अवसर देने के पश्चात वाद को खारिज किया गया। वादी की मंशा केवल मात्र वाद को लम्बा रखना व अप्रार्थी 2 को परेशान करने की मंशा है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय मे उपस्थित रहने का कोई समुचित कारण नही दिया गया है जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। (signature)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश मूल वाद की आदेशिका से प्रतीत होता है की वाद में 2012 से प्रभावी कार्यवाही नही हुई है। उसके पश्चात पत्रावली ACEM कोर्ट में स्थानान्तरित की गई। चुंकि न्यायालय की कार्यवाही कोविड से प्रभावित हुआ था जिससे प्रार्थी के कथन स्वीकार योग्य है। वाद का निस्तारण गुणावगुण पर नही हुआ है। व यदि वादी के अधिवक्ता द्वारा वाद मे पैरवी नही की गई तो उसकी भूल का भुगतान वादी/प्रार्थीगण द्वारा करना पडे यह उचित नही। अत: वाद के गुणावगुण पर निस्तारण करने हेतु व न्यायहीत में वाद को पुन: रिस्टोर करने के आदेश दिए जाते है। वादी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है व वादी को वाद में उचित पैरवी की हिदायत के साथ वाद को पुन: रिस्टोर करने के आदेश पारित किए जाते है। वाद को पुन: नम्बर पर दर्ज किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 24/11/22 दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी मूल पत्रावली हो। मूल पत्रावली रेकर्ड शाखा से [illegible] करने हेतु तहरीर जारी हो।	

(सहाय... ... एवं उपख... अधिकारी जोधपु... (...ण))